डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
वि.पृ.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 576] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर 2006—कार्तिक 30, शक 1928

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2006

क्र. एफ-22-13-2004-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 88 की उपधारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 24 अप्रैल 2006 के पृष्ठ क्रमांक 433 से 434 (24) तक मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का प्रारम्भिक प्रकाशन कर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे.

आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि उक्त सूचना प्रकाशित होने के (दिनांक 24 अप्रैल 2006) से 30 दिवस तक निर्धारित की गई थी.आपत्तियों पर सुनवाई हेतु 14 जून 2006 में विचार किया गया विचारोपरान्त आपत्तियां निरस्त की गईं.

अतः अब राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का अंतिम प्रकाशन निम्नानुसार किया जाता है:—

एम. के. राय, प्रमुख सचिव.

करार

उत्तरप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार

यह करार आज दिनांक 9 नवम्बर 2006 तद्नुसार दिनांक . . . . . . शक संवत. . . . . .को उत्तरप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तरप्रदेश सरकार" कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "मध्यप्रदेश सरकार" कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है.

कि, प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास तथा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के राज्य की समीपस्थता ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाये, इसलिए उक्त दोनों पक्षों ने एक पारस्परिक परिवहन करार 1 जून 1994 को निष्पादित किया गया था;

और, चूंकि, मान. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने याचिका संख्या 24324/1994 अब्दुल खालिक, बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य में पारित अपने निर्णय दिनांक 27 जुलाई 2005 द्वारा अधिसूचना दिनांक 27 मई 1994 को निरस्त करते हुए नये समझौते की कार्यवाही आरंभ करने के निर्देश दिये हैं;

और, चूंकि, दोनों राज्य बदली हुई परिस्थितियों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया करार करने के लिए सहमत हैं.

अतएव, अब उक्त पक्षों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:—

1. यह पारस्परिक परिवहन करार दिनांक 21 नवम्बर 2006 से प्रवृत्त होगा तथा उस समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि दोनों राज्यों के बीच नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छः माह की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाये,

2. **माल यान के अनुज्ञा-पत्र.**—(एक) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान के अनुज्ञा-पत्र.**—अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा जारी मालयानों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना माल यान के लिए अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर, संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा एकल बिन्दु कराधान के आधार पर किया जाएगा. प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किये जाएंगे:—

(क) यदि करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराया गया है तो एक बिन्दु कर का लाभ नहीं मिलेगा.

(ख) मालयान अनुज्ञा-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 में विनिर्दिष्ट और संबंधित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटरयान नियमावली के अधीन ऐसी शर्तों, जिन्हें संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, के अध्यधीन होंगे.

(ग) यह कि प्रतिहस्ताक्षर द्वारा आच्छादित यान का उपयोग व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात् ऐसे यान, व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे.

(दो) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मालयान (अस्थायी अनुज्ञा-पत्र).**—एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं. इन अनुज्ञा-पत्रों द्वारा आच्छादित यानों पर, अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य माल नहीं लादा और उतारा जायेगा. उन फेरों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा जो अनुज्ञा-पत्र की विद्यमानता के दौरान यानों द्वारा निष्पादित किये जा सकते हैं. यह भी करार पाया कि प्रचालक किन्हीं अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना उचित समझे, पालन करेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन स्थायी अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लंबित रहने के दौरान जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के आधार पर पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिहवन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर चलाये जा रहे मालयानों पर एक बिन्दु कर आरोपित होगा तथा शेष अस्थायी अनुज्ञा-पत्र द्विबिन्दु कर के आधार पर जारी किये जायेंगे.

3. **ठेका गाड़ी ओमनी बस.**—(एक) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मोटर कैब अनुज्ञा-पत्र.**—एकल बिन्दु कर आधार पर अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य से संबंधित मोटर कैब ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कैब गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन अधिकारी द्वारा किया जायेगा. प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तों के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को नहीं चढ़ाये या उतारेगा. एकल बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलायी जा रही यानों को ही प्राप्त होगी.

(दो) **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी परमिट.**—अनुच्छेद 9 में उपबन्ध के अधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गों के लिए उस राज्य में द्विबिन्दु कर आधार पर प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी (ओमनी बस)

के लिये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किए जा सकेंगे. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर अन्य राज्यों के देय कर का संदाय इस करार के अनुच्छेद 8 में विहित रीति से किया जावेगा तथापि यदि किसी कारण से ऐसे राज्य द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र की वैधता अन्य राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है तो ऐसे राज्य का परिवहन प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में वह यान हो, आवश्यक फीस और करों को प्राप्त कर एक नया अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकेगा. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिए विधिमान्य होंगे.

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा.

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराए पर ली जाएगी तथा एकल वापसी यात्रा के लिए उपयोग की जाएगी.

(घ) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी. यदि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने के पश्चात् वापसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस बाबत् लिखित रूप से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करेगा.

(तीन) **ठेका गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र [मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र].**—ये अनुज्ञा-पत्र, पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा द्विबिन्दु कर आधार पर जारी किये जा सकते हैं. अनुज्ञा-पत्रों में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा. अनुज्ञा-पत्र में वह क्रम जिसमें विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जायेगा, ऐसे प्रत्येक स्थान पर आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के उपदर्शन सहित और मोटर कैब से भिन्न गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की, अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित सूची भी अन्तर्विष्ट होगा.

4. **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन मंजिली गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र.**—(एक) मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी चलाने के संबंध में पारस्परिक करार, अनुलग्नक ''क'' और ''ख'' के अनुसार होगा. प्रतिबंध यह होगा कि यदि संलग्नक ''क'' का कोई मार्ग किसी करारकर्ता राज्य द्वारा अधिसूचित है तो जिस राज्य की योजना प्रभावी है, उस राज्य द्वारा योजना के प्रावधान के अनुरूप ही परमिट जारी किया जावेगा.

(दो) परन्तु यह भी कि यदि किसी योजना में अन्य राज्य के संचालक को नामनिर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है तो उस राज्य द्वारा नाम-निर्दिष्ट संचालक को चाहे वह निजी संचालक ही क्यों न हो, परिशिष्ट ''ख'' के मार्गों पर संचालन अनुमन्य होगा. मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की समाप्ति के पश्चात् निगम (उपक्रम) के स्थान पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा नाम-निर्दिष्ट संचालकों को इन मार्गों पर पारस्परिक करार में निर्धारित फेरों व अनुज्ञाओं के अनुसार चल सकेंगे.

(तीन) परन्तु यह भी कि परिशिष्ट ''ख'' में उल्लिखित किसी मार्ग की योजना में यदि उपान्तरण कर निजी संचालकों को छूट दी जाती है तो वह मार्ग स्वत: परिशिष्ट ''क'' में परिवर्तित समझा जावेगा.

(चार) परन्तु यह और कि परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित यदि किसी मार्ग को किसी राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य के परिवहन निगम को अनन्य संचालन हेतु अधिसूचित किया जाता है तो वह मार्ग स्वत: परिशिष्ट ''ख'' में परिवर्तित समझा जावेगा.

(पांच) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित फेरों की संख्या यथा संभव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लम्बाई के अनुसार नियत की जावेगी. इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य दैनिक एकल फेरा से है. अनुलग्नक ''क'' और ''ख'' में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो टरमिनलों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है. उक्त अनुलग्नक में प्रदर्शित मार्ग के नाम या उसकी लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य तत्परता से पत्र-व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा.

(छः) अनुलग्नक ''क'' में उल्लिखित मार्गों की समय सारिणी, दोनों राज्यों के अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियत की जाएगी और अनुलग्नक ''ख'' में उल्लिखित मार्गों की मंजिली गाड़ियों की समय-सारिणी, पारस्परिक परामर्श, यदि अपेक्षित हो, के पश्चात् संबंधित राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा नियत की जायेगी.

(सात) किसी राज्य में स्थित भाग के लिए यात्री किराया, अपने-अपने राज्य द्वारा नियत किये गये दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे.

(आठ) पारस्परिक करार के अधीन आने वाले दोनों राज्यों की मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, एकल बिन्दु कराधान आधार पर किया जायेगा. एकल बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलायी जा रही यानों को ही अनुमन्य होगा.

(नौ) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो व्यतिकारी राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिये गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) (घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा और मोटरयान को एकल बिन्दु कराधान आधार पर चलाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा:

परन्तु अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-81 (2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो.

(दस) यदि पारस्परिक यातायात समझौते के अन्तर्गत किसी मार्ग पर परमिट प्राप्त करने के उपरान्त किसी राज्य के निगम द्वारा दूसरे राज्य में संचालन नहीं किया जा रहा है, तो जिस अवधि में संचालन नहीं हुआ है उस अवधि का कर दूसरे प्रदेश के परिवहन अधिकारियों द्वारा नहीं वसूला जायेगा. संचालन बन्द करने की दशा में संचालन बन्द करने के दस दिवस के भीतर इसकी संबंधित राज्य के कराधान अधिनियम में विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया अनुसार अनुज्ञा-पत्र तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकरण के कार्यालय में प्रतिहस्ताक्षर पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा.

(ग्यारह) यदि पारस्परिक यातायात समझौते के अन्तर्गत किसी मार्ग पर परमिट प्राप्त करने के उपरान्त किसी राज्य के निगम से भिन्न संचालक द्वारा किसी दूसरे राज्य में संचालन नहीं किया जा रहा है, तो जिस अवधि में संचालन नहीं हुआ है, उस अवधि का कर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में केवल उसी दशा में देय नहीं होगा जब प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम में विहित प्रावधानानुसार अनुज्ञा-पत्र /प्रतिहस्ताक्षर-पत्र समर्पित कर दिया गया हो.

(बारह) नये मार्गों पर संचालन की व्यवस्था करने तथा विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि करारकर्ता राज्यों के सचिव/प्रमुख सचिवों द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरी करने के पश्चात् की जा सकेगी तथा उनके द्वारा की गयी कार्यवाही को इस करार का अंग माना जावेगा.

(तेरह) प्रारम्भिक समय सारिणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल अनन्तिम आधार पर किया जावेगा जो अधिकतम चार मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा. इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय-सारिणी को अन्तिम रूप देगा.

(चौदह) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन उपक्रम के लिए परिशिष्ट ''ख'' के मार्ग पर जारी मूल परमिट अथवा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) (घ) के अधीन जारी अस्थायी परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर सम्बन्धी आवेदन यथा संभव उसी तिथि को निर्णित किये जायेंगे जिस दिन प्रतिहस्ताक्षर की संस्तुति प्रस्तुत की जावेगी बशर्ते कि दोनों राज्यों के निगमों के द्वारा समय-चक्र पर सहमति प्रदान की गयी हो.

(पन्द्रह) दोनों राज्यों के बसों का संचालन बिन्दु एक ही होगा अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य की बसों का संचालन मध्य प्रदेश राज्य के बस स्टैण्डों तथा मध्यप्रदेश राज्य की बसों का संचालन यथास्थित उत्तर प्रदेश राज्य के बस स्टैण्डों से होगा.

(सोलह) स्थायी/अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी होने/नवीनीकृत होने करने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर परमिटधारी द्वारा संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा स्वीकृति अनुज्ञा-पत्र निरस्त किया जा सकेगा.

(सत्रह) मध्य प्रदेश राज्य की ओर से संचालित होने वाली मंजिली गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकार मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित रंग योजना के अनुरूप वाहनों पर रंग कराया जाना अनिवार्य होगा.

(अठारह) अधिसूचित मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित स्टीकर/होलोग्राम को मध्य प्रदेश राज्य की ओर से संचालित होने वाली वाहनों पर लगाया जाना अनिवार्य रहेगा.

(उन्नीस) इस समझौते के अन्तर्गत संचालित होने वाली मंजिली गाड़ियों में यात्रियों के बैठने की क्षमता चालक तथा परिचालक को छोड़कर 50 सीट से कम नहीं होगी.

(बीस) अनुसंलग्नक "क" एवं "ख" में उल्लिखित मार्गों के लिए समस्त पूर्ववर्ती मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्र, जो दोनों में से किसी राज्य द्वारा इस करार के प्रवृत्त होने के पूर्व प्रतिहस्ताक्षरित है, प्रवृत्त रहेंगे.

स्पष्टीकरण.—(क) किसी मोटर यान के संबंध में शब्द एकल बिन्दु मोटरयान कर या शब्द एकल बिन्दु कर आधार से अभिप्रेत है गृह राज्य में देय सभी करों के संदाय का दायित्व परन्तु इस करार के अधीन उत्तरप्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर चलाये जा रही मध्य प्रदेश की यानों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में देय कर से छूट परन्तु अतिरिक्त कर के भुगतान का दायित्व तथा मध्यप्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर चलायी जा रही उत्तर प्रदेश की यानों के संदर्भ में मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, 1991 के उपबन्धों के अधीन प्रतिहस्ताक्षर श्रेणी के यानों के लिये निर्धारित कर के संदाय का दायित्व.

(ख) किसी मोटरयान के संबंध में शब्द "द्विबिन्दु कर आधार" से अभिप्रेत है दोनों राज्यों के कर/मोटरयान कर/अतिरिक्त कर/टोल्स को सम्मिलित करते हुए सभी करों के संदाय का दायित्व.

(5) **कुम्भ, अर्द्ध कुम्भ, माघ मेला और मैहर मेला.**—इलाहाबाद में माघ मेला और मध्यप्रदेश में मैहर मेला प्रमुख वार्षिक विशेषतायें हैं और प्रतिवर्ष इन मेलों के दौरान यातायात की भारी भीड़ होती है. कुम्भ और अर्द्ध कुम्भ मेलों के दौरान भीड़ और भी अधिक होती है. इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह करार पाया कि अधिसूचित मार्गों पर मंजिली यान के रूप में संचालन हेतु अस्थायी अनुज्ञा-पत्र अबाध रूप से केवल राज्य परिवहन उपक्रमों को पारस्परिक राज्यों के बिना प्रतिहस्ताक्षर के द्विबिन्दु कर आधार पर जारी किये जा सकेंगे.

(6) **मुक्त योजना.**—(क) प्रत्येक राज्य के सीमा बिन्दुओं पर या उनके निकट पड़ने वाले स्थानों पर यात्रियों और माल यातायात सुचारू बनाने की सुविधा के लिये यह आवश्यक और समीचीन समझा गया कि दोनों राज्यों की सीमा के कतिपय बिन्दुओं पर मुक्त जोन के सृजन की व्यवस्था की जावे तथा मुक्त जोन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले यानों के लिये रियायत कर या रियायती अन्य फीस उद्ग्रहणीय होनी ही चाहिये और अनुज्ञा-पत्रों पर पारस्परिक करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना उपेक्षित नहीं होना चाहिए.

(ख) उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर यह करार पाया गया कि अन्तर्राज्यिक मार्गों पर पड़ने वाले प्रत्येक राज्य के सीमा बिन्दुओं पर या उनके निकट स्थित निम्नलिखित बिन्दुओं क्षेत्रों/मार्गों को उनके सामने वर्णित शर्तों पर मुक्त जोन के रूप में घोषित किया जा सकेगा.

(1) मूल अनुज्ञा पत्रों या अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों में समाविष्ट मालयानों के लिए—

(एक)	मध्यप्रदेश में चाकघाट और हनुमना उसके चारों ओर 10 किलोमीटर अर्द्धव्यास के साथ.	उत्तरप्रदेश राज्य के माल यानों के लिये.
(दो)	मध्यप्रदेश में हरपालपुर रेलवे स्टेशन उसके चारों ओर 10 किलोमीटर अर्द्धव्यास के साथ.	राठ की ओर से आने वाले उत्तरप्रदेश के मालयानों के लिये.
(तीन)	उत्तरप्रदेश में सिकन्दरा नाका, कराताल नाका और चिरगांव नाका उनके चारों ओर 10 कि. मी. अर्द्ध व्यास के साथ.	मध्यप्रदेश राज्य मालयानों के लिये.
(चार)	उत्तरप्रदेश में झांसी नाका उसके चारों ओर 10 कि. मी. अर्द्धव्यास के साथ.	ओरछा की ओर से आने वाले मध्यप्रदेश के मालयानों के लिये.
(पांच)	मध्यप्रदेश में चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र.	कर्वी की ओर से आने वाले उत्तरप्रदेश के मालयानों के लिये.
(छः)	उत्तरप्रदेश में चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र.	चित्रकूट (मध्यप्रदेश) की ओर से आने वाले मध्यप्रदेश के मालयानों के लिये.

स्पष्टीकरण.—इस करार में चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र से अभिप्रेत है चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता से मिलकर बनने वाला ऐसा क्षेत्र जो हस्ताक्षरकर्ता राज्य द्वारा अपने-अपने राज्यों से संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अधीन गठित किया गया हो.

(2) मूल अनुज्ञा-पत्रों या अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों में समाविष्टि मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी अथवा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अधीन स्वीकार किये गये विशेष अनुज्ञा पत्रों में समाविष्ट ठेका गाड़ी के लिये—

(एक) मध्यप्रदेश में पड़ने वाले चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सीमा से कर्वी की ओर के निम्नलिखित स्थानों तथा उससे जुड़ने वाले मार्ग सम्मिलित हैं.

उत्तरप्रदेश के ऐसे यानों के लिये जो कर्वी उत्तरप्रदेश की ओर से आते हैं और जिनके अनुज्ञा-पत्र अनन्यतः मध्यप्रदेश चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र के लिये हो तथा मध्यप्रदेश क्षेत्र के उस क्षेत्र के बाहर के लिये न हो.

1. गुप्त गोदावरी
2. सती अनुसुईया आश्रम
3. स्फटिक शिला
4. जानकी कुण्ड
5. प्रमोद वन
6. कामतानाथ पर्वत (एक द्वार)
7. सीता चरण
8. हनुमान धारा
9. सीता रसोई
10. कोटिनाथ
11. देवांगन
12. रामघाट

(दो) उत्तरप्रदेश में पड़ने वाले चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सीमा से गुप्त गोदावरी और देवांगन की ओर से निम्नलिखित स्थान पर उनसे जुड़ने वाले मार्ग सम्मिलित हैं—

मध्यप्रदेश के यानों के लिये जो मध्यप्रदेश के चित्रकूट की ओर से आते हैं और जिसके अनुज्ञा-पत्र अनन्यतः उत्तरप्रदेश के चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में प्रचालन के लिये हों तथा उत्तरप्रदेश क्षेत्र में उस क्षेत्र के बाहर प्रचालन के लिए न हों.

1. कामतानाथ पर्वत (एक द्वार)
2. बांके बिहार
3. बाल्मीकि आश्रम
4. सूर्य कुण्ड
5. भरतकूप
6. राजपुर
7. रामसेज

(3) **मूल या अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों में समाविष्टि मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये—**

(एक)	झांसी नगर तथा ओरछा की ओर उत्तरप्रदेश की सीमा तक का मार्ग.	ओरछा की ओर से आने वाले मध्यप्रदेश के यानों के लिए.
(दो)	मध्यप्रदेश का ओरछा नगर तथा झांसी की ओर उत्तरप्रदेश की सीमा तक का मार्ग.	झांसी की ओर से आने वाले उत्तरप्रदेश के यानों के लिए.

(4) **मूल या अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों में समाविष्ट मोटरकैब या टैक्सी कैब तिपहिया जो टेम्पो के नामसे लोकप्रिय हैं, के लिये—**

(एक)	झांसी नगर और बालाजी उन्नाव की ओर मध्यप्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला मार्ग.	बालाजी उन्नाव की ओर से आने वाले मध्यप्रदेश के यानों के लिए.
(दो)	मध्यप्रदेश का बालाजी उन्नाव नगर तथा झांसी की ओर उत्तरप्रदेश की सीमा जोड़ने वाला मार्ग.	झांसी की ओर से आने वाले उत्तरप्रदेश के यानों के लिए.

परस्परिक करारकर्ता राज्य की यथास्थिति, मंजिली गाड़ियां, ठेका गाड़ियां तथा मालयान अन्य राज्य में उक्त मुक्त जोन क्षेत्र में प्रवेश करने पर—

(एक) यदि उक्त मुक्त जोन क्षेत्र उत्तरप्रदेश राज्य में आता है तो यथास्थिति उत्तरप्रदेश के मोटरयान कर, अतिरिक्त कर तथा टोल्स (पथकर) के संदाय से

अथवा

(दो) यदि उक्त मुक्त जोन क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र में आता है तो मध्य क्षेत्र के मोटरयान कर और टोल्स (पथकर) के संदाय से अन्य राज्य में छूट प्राप्त होगी.

(5) **निम्नलिखित अन्तर्राज्यिक वृत्ताकार मार्ग.**—(एक) बैढ़न विन्ध्यनगर शक्ति नगर, नावानगर, अमलोरी, नावानगर, माजन, मोड़ बैढ़न (मध्यप्रदेश में दूरी 27 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश में दूरी 8 किलोमीटर)

(दो) बैढ़न-भाजन, मोड़-नावानगर-अमलोरी-नावानगर-निगेही-मोरवा-दुधिचुआ-जयन्त-शक्ति नगर विन्ध्या नगर बैढ़न, (मध्यप्रदेश में दूरी 40 किलोमीटर और उत्तरप्रदेश में 10 किलोमीटर) और

(तीन) बैढ़न, विन्ध्यनगर, शक्तिनगर, जयन्त, दुधिचुआ-ढागुराड़ी औड़ी मोड़ बीना ककरी, शक्तिनगर, विन्ध्यनगर बैढ़न (मध्यप्रदेश में दूरी 31 किलोमीटर और उत्तरप्रदेश में 44 किलोमीटर)

(क) उक्त के भाग जो मध्यप्रदेश राज्य में आते हैं उत्तरप्रदेश राज्य की ऐसी मंजिली गाड़ियों निजी सेवा यानों-शिक्षा संस्थान की बसों और समस्त प्रकार की ठेका गाड़ियों के लिए मुक्त जोन होंगे जो मध्यप्रदेश में मुक्त जोन में अनन्यतः प्रचालन के लिये या तो शक्ति नगर की ओर से या ओढ़ीमोड़ (खनानापुल) की ओर से आती है; और

(ख) उक्त के भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं, मध्यप्रदेश राज्य की ऐसी मंजिली गाड़ियों, निजी सेवा यानो शिक्षा संस्थानों की बसों और समस्त प्रकार की ठेका गाड़ियों के लिए मुक्त जोन होंगे, जो उत्तरप्रदेश में मुक्त जोन में अनन्यतः प्रचालन के लिये या तो मोरवा की ओर से जयंत की ओर से या बैढ़न विन्ध्यनगर की ओर से आती है.

(ग) उक्त मद में वर्णित अन्य राज्य के मुक्त जोन क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले मोटरयानों पर पारस्परिक राज्यों में मोटरयानों पर लागू होने वाले कर निम्नलिखित सीमा तक भुगतान से मुक्त होंगे—

(एक) मध्यप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत निजी सेवा यानों और ठेका गाड़ियों सहित अन्य गाड़ियों से संबंधित उत्तरप्रदेश सड़क कर में 50 प्रतिशत तक छूट और स्कूल बसों और मंजिली गाड़ियों से सम्बन्धित उत्तरप्रदेश सड़क कर में पूर्ण छूट.

(दो) उत्तरप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाड़ियों और स्कूल बसों से संबंधित उत्तरप्रदेश में उद्ग्रहणीय सड़क कर की धनराशि की सीमा तक मध्यप्रदेश में मोटरयान कर से छूट. उत्तरप्रदेश में रजिस्ट्रीकृत ठेका गाड़ियों और निजी सेवा यानों सहित अन्य यानों के संबंध में मात्र 50 प्रतिशत तक छूट अनुमान्य होगी.

(तीन) पारस्परिक राज्य में उद्ग्रहणीय टोल्स (पथकर) के संदाय से.

(ग) सुविधाजनक तथा पर्याप्त परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से और उपरोक्त करार पाये गये मुक्त जोन का द्रुत विकास करने के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित प्रवर्गों के अनुज्ञा-पत्र अपने मुक्त जोन में सेवाओं के अनन्यत: प्रचालन के लिये फेरों की संख्या पर किसी निर्बन्धन के बिना और पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना जारी किये जा सकेंगे. ऐसे यान के अनुज्ञा-पत्र पर उसके मुखपृष्ट पर जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जाएगा कि यान को पारस्परिक करार के शर्तों के अधीन अन्य राज्य के संबंधित मुक्त जोन में प्रचालन के लिए अनुज्ञात किया गया है.

(घ) हस्ताक्षरकर्ता दोनों राज्य, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के साथ पठित धारा 96 (2) (दस) के अधीन यह उपबन्ध करने के लिए कि पारस्परिक करारकर्ता राज्य में उस प्रकार स्वीकृत किए गये मूल अनुज्ञा पत्रों या अस्थायी अनुज्ञा-पत्र इस खण्ड में किए गये करार के अनुसार गृह राज्य के मुक्त जोन में प्रति हस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होंगे, उपयुक्त नियम बनायेंगे.

(7) **कॉरीडार मार्ग.**—उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं. अतएव राज्य के मोटरयानों को, जो ऐसे मार्गों पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञा-पत्र मार्ग के उस भाग के संबंध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञा-पत्र पर उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है विधिमान्य होगा. उस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सोलह किलोमीटर के अनधिक के इस छोटे से भाग को ''मुक्त कॉरीडोर'' के रूप में कहा गया है.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कारीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे यानों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अनुज्ञा पत्रों को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए उन अनुज्ञा पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है और वे एकल बिन्दु कर के आधार पर अनुज्ञात होंगे. ऐसे मार्गों को समझौते में सम्मिलित हुआ माना जावेगा परन्तु ऐसे मार्गों पर परमिट देने से पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य से मार्ग के औचित्य के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावेगी जिसे पारस्पर करारकर्ता राज्य द्वारा अस्थायी परमिट के निस्तारण के संबंध में 20 दिवस तथा स्थायी परमिट के संबंध में 45 दिवस के अन्दर अपनी टिप्पणी देनी होगी और यदि इस अवधि में कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है तो यह माना जावेगा कि परस्पर करारकर्ता राज्य उस मार्ग के औचित्य के संबंध में सहमत है. ऐसे मार्गों पर जारी परमिटों की सूचना करारकर्ता राज्य एक दूसरे को आदान-प्रदान करेंगे. यद्यपि जहां कारीडोर की दूरी सोलह किलोमीटर से अधिक हो वहां ऐसे अनुज्ञा-पत्र पर करार के अनुसार ही प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगे.

यह और भी करार पाया गया कि जब सभी पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य के मुक्त कारीडोल में वाहन प्रचालन के लिए अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जाएगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं. जारी करने वाला प्राधिकारी अन्य राज्य के उस प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी को, जिसके क्षेत्र में ऐसा मुक्त कारीडार आता है, ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के विवरण प्रख्यापित करेगा जिससे कि उस राज्य के प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र धारकों से यथास्थिति यात्रीकर/मालकर/मोटरयान कर आदि वसूल करने में समर्थ रहे. ऐसे मुक्त कारीडोर के संबंध में पारस्परिक करारकर्ता राज्य के करों की वसूली करने में अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति करने वाला परिवहन प्राधिकारी समस्त सम्भवरीति में सहायता भी करेगा.

(8) **करों के संदाय का ढंग.**—(क) अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र को जारी करने के पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं यद्यपि दोनों में कोई भी राज्य यथा स्थिति चेक पोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा.

(ख) प्रत्येक डिमाण्ड ड्राफ्ट की क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है. अस्थायी अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञा-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जाएगी.

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों तथा विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां भारतीय स्टेट बैंक के नाम लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्टों अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निदर्शन-पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को तुरन्त भेजी जायेगी और उत्तरप्रदेश की दशा में ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों/विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां मासिक अन्तराल पर डिमाण्ड ड्राफ्टों के साथ परिवहन आयुक्त (केन्द्रीय पूल), उत्तरप्रदेश, लखनऊ को भेजी जायेगी.

अनुक्रमांक	यान के स्वामी का नाम तथा पता	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	यान का सकल यान भार तथा यान की क्षमता बैठक	अनुज्ञा-पत्र की वैद्यता तारीख से	तक	बैंक ड्राफ्ट की संख्या और धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(9) **अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सामान्य सहमति.**—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) उपबंधित करती है कि धारा 88 (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणत: या विशिष्ट अवसर के लिये जारी कर सकेगा.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया है कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार के खण्ड 3, 5 तथा 7 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और ठेका गाड़ियों (ओमनी बसों और मोटर कैबों) के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) के अधीन सामान्य सहमति प्रदान करते हैं.

(10) **सामान्य.**—(एक) व्यक्तिकारी राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यिक मार्गों पर चल रहे यानों के संबंध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक की सुसंगत नियमावली के अधीन जारी कर, टोकनों, चालक और परिचालक अनुज्ञप्ति परिवहन यान प्राधिकार और स्वस्थता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे.

(दो) **बकाया वसूली**-दोनों राज्यों द्वारा जारी ऐसी अनुज्ञायें लेकर प्रतिहस्ताक्षर परस्पर राज्यों द्वारा किया गया है और यदि ऐसे अनुज्ञाधारी अन्य राज्य के करों का नियमानुसार भुगतान न करने पर बकायादार हो जाते हैं एवं वाहन का संचालन बन्द कर देते हैं, ऐसे बकायादारों से कर की वसूली में दोनों राज्य एक दूसरे राज्यों के बकाया करों की वसूली में सहयोग करेंगे.

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

हस्ता/-
(एम. के. राय)
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
मध्यप्रदेश सरकार.

हस्ता/-
(राजेन्द्र भौनवाल)
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तरप्रदेश सरकार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

उत्तरप्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

साक्षी
हस्ता/-
(एन. के. त्रिपाठी)
परिवहन आयुक्त,
मध्यप्रदेश.

साक्षी
हस्ता/-
(आर. पी. शुक्ल)
परिवहन आयुक्त,
उत्तरप्रदेश.

परिशिष्ट "क"

निजी संचालकों के संचालन हेतु अन्तर्राज्यीय मार्गों का विवरण

क्र.	मार्ग का नाम	किलोमीटर		कुल कि.मी.	करार पाये फेरों की संख्या		अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल किलोमीटर	
		उत्तरप्रदेश	मध्यप्रदेश		उत्तरप्रदेश	मध्यप्रदेश	उत्तरप्रदेश	मध्यप्रदेश	उत्तरप्रदेश के प्रचालकों द्वारा मध्यप्रदेश में	मध्यप्रदेश के प्रचालकों द्वारा उत्तर प्रदेश में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	टीकमगढ़-मऊरानीपुर वाया जतारा.	9	58	67	2	12	1	6	116	108
2	झांसी-टीकमगढ़ वाया ललितपुर.	134	14	148	34	4	34	4	476	536
3	दतिया-समथर	83	10	93	60	4	30	2	600	332
4	टीकमगढ़-छतरपुर वाया मऊरानीपुर, नौगांव.	24	108	132	4	12	2	6	432	288
5	दतिया-झांसी वाया उनाव.	14	18	32	8	8	2	2	144	112
6	टीकमगढ़-निवाड़ी वाया मऊरानीपुर.	35	67	102	8	12	4	6	536	420
7	झांसी-माताटीला वाया बबीना, बसई.	26	13	39	6	6	2	2	78	156
8	झांसी-खनियाधाना वाया पिछोर, माताटीला, बसई	35	67	102	8	10	4	5	536	350
9	भिण्ड-उरई वाया मिहोना, गोपालपुर, जालौन.	43	55	98	12	12	6	6	660	516
10	पिछोर-झांसी वाया दिनारा बिलौआ पनिहार.	21	49.6	70.6	4	4	2	2	198.4	84
11	झांसी-भाण्डेर	34	19	53	8	0	3	0	152	0
12	टीकमगढ़-दतिया वाया ओरछा, झांसी.	27	99	126	4	16	2	8	396	432
13	टीकमगढ़-माडोरा	19	14	33	6	6	2	2	84	114
14	रीवा-मानिकपुर वाया बानकुईया.	10	58	68	2	8	1	4	116	80
15	रीवा-टीकमगढ़ वाया मऊरानीपुर.	24	298	322	1	10	1	10	298	240

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	मानिकपुर-रीवा वाया चौरा.	6	84	90	2	6	1	3	168	36
17	ललितपुर-दतिया वाया झांसी.	111	10	121	28	8	14	4	280	888
18	लहार-चिरगाँव	10	89	99	2	6	1	3	178	60
19	सतना-करतल वाया अजयगढ़.	3	124	127	0	4	0	2	0	12
20	पवई-चित्रकूट वाया अजयगढ़	83	110	193	2	6	1	3	220	498
21	झांसी-महोबा वाया नौगाव.	116	45	161	12	6	6	3	540	696
22	झांसी-खजुराहो वाया मऊरानीपुर, नौगांव, छतरपुर, बमीठा.	68	108	176	14	12	7	6	1512	816
23	भिण्ड-गोपालपुर वाया असनेट नाका.	16	37	53	6	12	3	6	222	192
24	भिण्ड-बगरा	11	51	62	2	8	1	4	102	88
25	भिण्ड जालौन	21	51	72	8	12	4	6	408	252
26	लहार- उर्इ	40	23	63	24	12	12	6	552	480
27	लहार-जालौन	23	23	46	6	16	3	8	138	368
28	दतिया-बसई	45	15	60	6	2	3	1	90	90
29	शिवपुरी-बरोरा वाया बसई.	0.8	99.7	100.5	0	4	0	2	0	3.2
30	टीकमगढ़-झांसी वाया दिगोड़ा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, बरूआसागर.	24	85	109	4	12	2	6	340	288
31	धुवारा-झांसी वाया टीकमगढ़, दिगोड़ा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, बरूआसागर.	24	125	149	2	4	1	2	250	96
32	टीकमगढ़-मऊरानीपुर वाया दिगोड़ा, लिधौरा, जतारा.	10	72	82	2	6	1	3	144	60
33	ओरछा-जतारा वाया बरूआसागर, निवाड़ी, पृथ्वीपुर.	13	90	103	0	4	0	2	0	52

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34	बडोन-धोर्रा वाया कुरौरा, राजनगर, विक्रमपुर.	5	84	89	0	4	0	2	0	20
35	खोड़-करैरा वाया बसई	5	67	72	0	4	0	2	0	20
36	सेंवढ़ा-झांसी वाया इन्दरगढ़, दतिया.	16	77	93	0	6	0	3	0	96
37	झांसी-भाण्डेर वाया बालाजी.	18	19	37	8	8	4	4	152	144
38	झांसी-अशोकनगर वाया बबीना, ललितपुर, चंदेरी, मुंगावली.	112	80	192	4	6	4	6	320	672
39	आलमपुर-उरई वाया मिहोना.	60	50	110	3	6	3	6	150	360
40	ललितपुर-शिवपुरी वाया बसई.	20	130	150	1	4	1	4	130	80
41	ललितपुर-मुंगावली वाया चंदेरी.	20	59	79	2	8	1	4	118	160
42	ललितपुर ईशागढ़ वाया चंदेरी.	20	59	79	6	4	2	2	354	80
43	भिण्ड-झांसी वाया मेंहगांव मौ, सेवढ़ा, इन्दरगढ़, दतिया.	18	129	147	0	8	0	4	0	144
44	टीकमगढ़-झांसी वाया दिगौड़ा, लिधौरा, पृथ्वीपुर, ओरछा.	8	96	104	6	16	3	8	576	128
45	करेरा-ललितपुर वाया बसई.	61	85	146	3	4	3	4	255	244
46	भिण्ड-कौंच वाया लहार	35	120	155	2	8	1	4	240	280
47	सेवढ़ा-उरई वाया नदीगांव.	65	22	87	6	4	3	2	132	260
48	झांसी-मेरवरा वाया पृथ्वीपुर, लिधौरा, जतारा, चंदेरी, ओरछा.	8	106	114	0	4	0	2	0	32
49	सिमरा-झांसी वाया जिरौन, पृथ्वीपुर, ओरछा.	8	58	66	0	8	0	4	0	64

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
50	गरोठा-दतिया व्हाया मरकुवा, मऊरानीपुर, झांसी, चिरूला.	128	10	138	8	2	4	1	80	256
51	एरच-उनाव-बालाजी व्हाया गुरसराय, मऊरानीपुर, झांसी, चिरूला.	142	3	145	4	0	4	0	12	0
52	दतिया-दबोह व्हाया इन्दरगढ़, धीरे, आलमपुर.	6	88	94	0	6	0	3	0	36
53	दतिया-भाण्डेर व्हाया उनाव सदका.	6	64	70	0	4	0	2	0	24
54	ककरवाई-बालाजी व्हाया दुरसराजा.	129	8	137	8	2	4	1	64	258
55	ग्वालियर-मुंगावली	40	212	252	1	6	1	6	212	240
56	कुलपहाड़-ईसानगर	20	35	55	4	2	2	1	140	40
57	मिहोना-दाई	55	9	64	10	0	5	0	90	0
58	भाण्डेर-चीरका	13	24	37	3	6	1	3	72	78
59	दतिया-दबोह व्हाया उनाव, भाण्डेर समथर.	9	111	120	0	8	0	4	0	72
60	डबरा-दबोह व्हाया सालोन पन्डोखर, समथर.	9	77	86	2	8	1	4	154	72
61	पन्डोखर-दबोह व्हाया सदका, समथर.	7	20	27	0	8	0	4	0	56
62	अमायन-चीरका	13	69	82	2	8	1	4	138	104
63	मोहनपुरा-इटावा	14	20	34	8	6	4	3	160	84
64	खुर्रई-मेहरौनी, कुम्हेड़ी	34	48	82	4	4	2	2	192	136
65	डबरा-सदका व्हाया सालोन	13	89	102	1	8	1	8	89	104
66	महोबा-धवारी	7	14	21	8	8	2	2	112	56
67	शाहगढ़-मेहरोनी व्हाया डोंगरकला	18	45	63	8	12	4	6	360	216
68	सागर-मेहरोनी	45	46	91	6	4	3	2	276	180
69	झांसी-दिनारा	14	7	21	8	0	2	0	56	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
70	झांसी-चंदेरी वाया ललितपुर.	112	14	126	4	4	4	4	56	448
71	सेवढ़ा-उरई वाया मिहोना, असनेट नाका.	55	43.5	98.5	4	4	2	2	174	220
72	बल्देवगढ़-मऊरानीपुर वाया कनेरा.	9	81	90	4	8	2	4	324	72
73	सेन्द्री-मोठ	36	2	38	12	4	4	2	24	144
74	सेन्द्री-गुरसराय	32	2	34	12	6	4	2	24	192
75	लहार-कोंच	67	20	87	10	6	5	3	200	402
76	खुरई-ललितपुर	37	43	80	6	6	6	3	258	222
77	झांसी-टेहरका वाया निवाड़ी.	25	24	49	12	12	6	6	288	300
78	बिजावर-ललितपुर वाया बानपुर, गुलगंज.	37	101	138	6	6	3	3	606	222
79	बम्हौरी-मऊरानीपुर	8	5	13	0	4	0	2	0	32
80	चंदेरी-झांसी वाया प्रतापपुरा	8	122	130	0	6	0	3	0	48
81	दतिया-निवाड़ी वाया भाण्डेर.	45	70	115	6	6	3	3	420	270
82	टीकमगढ़-झांसी वाया कनेरा.	66	75	141	6	10	3	5	450	660
83	टीकमगढ़-झांसी वाया प्रतापपुरा.	7	89	96	0	8	0	4	0	56
84	सोने का पुरा-इटावा-फूफ	16	15	31	12	8	4	4	180	128
85	मऊरानीपुर-सरवई वाया नौगांव, अजनर, बेलाताल, श्रीनगर, महोबा, लौंडी, चाँदला.	88	97	185	6	6	6	6	582	528
86	दतिया-छतरपुर वाया झांसी, नौगांव.	87	71	158	20	210	10	10	1420	1740
87	चन्देरी-टीकमगढ़ वाया ललितपुर.	60	28	88	8	3	6	3	224	180

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
88	महोबा-नौगांव	31	20	51	30	4	10	2	600	124
89	महोबा-छतरपुर वाया मल्हेरा.	22	29	51	24	24	8	8	696	528
90	दतिया-झांसी	18	11	29	12	6	4	2	132	108
91	खजुराहो-महोबा वाया महाराजपुर.	22	63	85	16	16	8	8	1008	352
92	भिण्ड-इटावा	14	21	35	33	30	11	10	693	420
93	झांसी-लहार वाया चिरगांव विहोदना, भाण्डेर, आलमपुर.	34	90	124	6	8	3	4	540	272
94	भिण्ड-वाह वाया बरई	43	21	64	18	2	12	1	378	86
95	सागर-ललितपुर	37	68	105	12	12	6	6	816	444
96	सागर-झांसी	132	71	203	12	6	12	6	852	792
97	सागर-ग्वालियर-झांसी	138	162	300	8	4	8	4	1296	552
98	सागर-टीकमगढ़ वाया ललितपुर.	80	86	166	8	4	8	4	688	320
99	महोबा-ग्वालियर वाया नौगांव, मऊरानीपुर झांसी, दतिया, डबरा.	113	150	263	10	0	10	0	1500	0
100	ओरछा-झांसी	7	9	16	36	36	6	6	324	252
101	मऊरानीपुर-ललितपुर वाया कनेरा, जतारा, टीकमगढ़, बानपुर, मुगवारा.	38	61	99	6	8	3	4	366	304
102	बल्देवगढ़-झांसी वाया पलेरा, खरगापुर, कनेरा, मऊरानीपुर, निवाड़ी.	75	66	141	5	4	5	4	330	300
103	टीकमगढ़-गरोठा वाया जतारा, कनेरा, मऊरानीपुर, मारकुआं.	58	52	110	6	6	3	3	312	348
104	भिण्ड से जगम्मनपुरा	25	55	80	2	4	1	2	110	100
105	भिण्ड से बिठौली	40	40	80	12	12	6	6	480	480

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
106	नौगांव-पूंछ वाया देवरी बंगा, मऊरानीपुर, गुरसराय, एरच.	82	24	106	6	2	3	1	144	164
107	सिमरा-झाँसी वाया जेरा, चीरसागर, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, घुघुआ, बरूआसागर.	24	39	63	4	4	2	2	156	96
108	टीकमगढ़-ललितपुर वाया बानपुर, गुंगरवारा.	37	7	44	8	8	4	4	56	296
109	लहार-उरई वाया नदीगाँव, कोंच, हरदोई.	50	25	75	8	4	4	2	200	200
110	लहार-कोंच वाया नदीगांव.	23	22	45	8	8	4	4	176	184
111	लहार से समथर वाया दबोह, धौरका.	8	30	38	4	12	2	6	120	96
112	अमायन से कोंच वाया रूहेरा, परांचेच, लहार, नदीगांव.	22	45	67	2	4	1	2	90	88
113	अमायन से उरई वाया परांचेच, लहार, नदीगाँव, कोंच	50	45	95	4	4	2	2	180	200
114	सेंवढ़ा से उरई वाया नदीगाँव, कोंच.	50	40	90	4	4	2	2	160	200
115	भाण्डेर-जालौन वाया समथर, कोंच, कमसेरा.	65	30	95	8	4	4	2	240	260
116	आलमपुर-कोंच वाया पण्डोखर, सदका, समथर.	50	30	80	6	4	3	2	180	200
117	सेवढ़ा-जालौन वाया चोरई, नदीगाँव, कोंच क्योलारी, कमसेरा.	54	28	82	8	4	4	2	224	216
118	सेवढ़ा से कोंच वाया चोरई, नदीगाँव.	25	28	53	2	2	1	1	56	50
119	भिण्ड से जगम्मनपुरा वाया ऊमरी, मिहोना, बंगरा, माधोगढ़.	30	55	85	4	4	2	2	220	120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
120	ग्वालियर-जगम्मनपुरा वाया मुरार, बड़ागाँव, मौ, सेवढ़ा, लहार, मिहोना, बंगरा, माधौगढ़.	30	130	160	3	4	3	4	390	120
121	भिण्ड से कुंठौद वाया उमरी, मिहोना, बंगरा, माधौगढ़, ईटो	40	55	95	4	4	2	2	220	160
122	भिण्ड से धौलपुर वाया प्रतापपुर, गढ़, रछेड़ पिनाहट, राजाखेड़ा (राजस्थान 40 कि. मी.)	8	60	68	0	4	0	2	0	32
123	भिण्ड से मैनपुरी वाया इटावा, करहल	90	20	110	8	4	4	2	160	360
124	मोह से झाँसी वाया मैंहगाँव, मोह सेवढ़ा, इन्दरगढ़.	13	20	33	4	6	2	3	80	78
125	भिण्ड से बिठौली वाया फूफ, भानपुरा.	55	25	80	8	4	4	2	200	220
126	भिण्ड से बाह वाया प्रतापपुरा, अटेर, जैतपुर.	24	30	54	4	4	2	2	120	96
127	ग्वालियर से उरई वाया मुरार, बड़ागाँव, मौ, सेवढ़ा, चोरई, रावतपुरा, नदीगाँव, कौंच, हरदोई.	75	125	200	1	2	1	2	125	150
128	लहार से कौंच वाया चौरई, रावतपुरा, नदीगाँव.	30	31	61	8	8	4	4	248	240
129	दबोह से उरई वाया धौरका, समथर, साकिल, कौंच, हरदोई.	70	15	85	8	4	4	2	120	280
130	रावपुरा से समथर वाया मछण्ड, मिहोना, लहार, दबोह, धौरका.	20	60	80	2	4	1	2	120	80
131	भिण्ड से बिठौली वाया उमरी, नयागाँव, मधुपुरा.	20	50	70	4	8	2	4	200	160
132	मिहोना से ओरछा वाया लहार, दबोह, भाण्डेर, उन्नाव, झाँसी.	24	100	124	1	2	1	2	100	48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
133	लहार से माधोगढ़ वाया मिहोना, मछण्ड.	9	26	35	4	4	1	1	104	36
134	मछण्ड से गोपालपुरा वाया बिसवारी, माधोगढ़, बंगरा.	18	8	26	4	4	1	1	32	72
135	दतिया से ओरछा वाया झांसी.	24	18	42	4	2	3	2	72	48
136	दतिया से कोंच वाया भाण्डेर, देवरा, सदका, समथर.	36	60	96	2	4	1	2	120	144
137	दतिया से गुरूसराय वाया भाण्डेर, चिरगॉव.	45	42	87	4	4	2	2	168	180
138	झांसी से आलमपुर वाया रतनगढ़.	34	59	83	2	4	1	2	118	136
139	डबरा से कोंच वाया इन्दरगढ़, थरेट, आलमपुर, दबोह, रावतपुर, नदीगॉव.	27	147	174	1	2	1	2	147	54
140	ललितपुर से मऊरानीपुर वाया महरौनी टीकमगढ़ जतारा.	43	75	118	6	8	3	4	450	344
141	ललितपुर से सिरोंज वाया राजघाट,चन्देरी, गुनावली, रसुल्ली.	22	80	102	6	10	3	5	480	220
142	ललितपुर से खनियाधाना वाया राजघाट, बामौर.	22	45	67	8	10	4	5	360	220
143	ललितपुर से टीकमगढ़ वाया गईयाघाट, बानपुर, बाड़ाघाट.	40	8	48	8	4	4	2	64	160
144	ललितपुर से गुना वाया राजघाट, चन्देरी, अशोकनगर.	22	115	137	6	7	6	7	690	154
145	झांसी-टीकमगढ़ वाया बबीना, गुमटाघाट, मोहनगढ़.	65	45	110	6	6	3	3	270	390
146	झांसी से सिरोज वाया तालबेहट, जखौरा, राजघाट चन्देरी मुंगावली, रसुल्ली.	90	80	170	5	5	5	5	400	450

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
147	ललितपुर-खजुराहो वाया महरौनी-टीकमगढ़ बल्देवगढ़.	43	155	198	4	6	4	6	620	258
148	तालबेहट-जतारा वाया गुमटाघाट-बम्होरी-लिधौरा-मुहारा.	30	45	75	6	6	3	3	270	180
149	ललितपुर-शाहगढ़ वाया महरौनी-सौजना-जगारा.	59	45	104	6	2	3	1	270	118
150	छतरपुर-चरखारी वाया मल्हेरा, कैमहा, श्रीनगर, पवा.	41	29	70	12	6	6	3	348	246
151	लहार से जालौन वाया चोरई, नदीगांव, कोंच, केवलारी, कनसेरा	61	22	83	4	2	2	1	88	122
152	दतिया से औरइया वाया इन्दरगढ़, सेवढ़ा लहार, बंगरा.	69	116	185	3	5	3	5	348	345
153	बड़ा मलेहरा-झांसी वाया घावरा बड़ागांव, पृथ्वीपुर, ओरछा.	7	152	159	1	5	1	5	152	35
154	भिण्ड से औरैया वाया उमरी, मिहोना, बंगरा, कुंठौद.	55	55	110	4	4	2	2	220	220
155	पूँछ-जतारा वाया एरच, गुरसराय, मऊरानीपुर.	81	21	102	10	6	5	3	210	486
156	समथर-जतारा वाया मोठ, टहरौली, बंगरा, मऊरानीपुर.	91.5	21	112.5	8	4	4	2	168	366
157	झांसी-मोहनगढ़, वाया बबीना, सकवा-डुकवांबांध, गुमटाघाट.	58.2	17.8	76	6	2	3	1	106.8	116.4
158	उरई-छितारेकापुरा वाया जालौन, कौंच, सदपुरा, नदीगांव, रावतपुरा.	81	28	109	10	2	5	1	280	516
159	महोबा-चांदला	6	32	38	0	12	0	3	0	72
160	महोबा-सरवई वाया चांदला.	6	51	57	0	12	0	6	0	72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
161	लौड़ी-मटौंध वाया गौरीहार.	3	26	29	0	8	0	2	0	24
162	जुझार नगर-महोबा	6	16	22	0	10	0	2	0	60
163	अजयगढ़-लौड़ी-महोबा	8	95	103	2	6	1	3	190	48
164	पन्ना-महोबा वाया खजुराहो.	23	108	131	2	8	1	4	216	184
165	बरई-इटावा	14	1	15	0	80	0	20	0	1120
166	बड़ामलहरा-झांसी वाया, धुवारा-बड़ागांव-टीकमगढ़-पृथ्वीपुरा निवारी, बरूआसागर, प्रतापपुरा.	20	160	180	1	2	1	2	160	40
167	मोदहा-चछौन वाया मटौंध-खड्डी-गौरीहार.	47.1	10.7	57.8	4	0	2	0	42.8	0
168	हरपालपुर-चरखारी वाया कुलपहाड़-बारौल.	50	16	66	8	0	4	0	128	0
169	मऊरानीपुर-ललितपुर वाया रानीपुर केवर-टेहरका-पृथ्वीपुर मोहनगढ़-तालबेहट.	72	71	143	8	8	4	4	568	576
170	ललितपुर-हरपालपुर वाया तालबेहट-गुमटापाट-लिधौरा-जतारा-मऊरानीपुर.	87	76	163	2	2	1	1	152	174
171	शाहगढ़-झांसी वाया धुवारा, बुढेरा, बल्देवगढ़, खरगापुर, जतारा, ओरछा.	7	200	207	0	2	0	1	0	14
172	बिजावर-झांसी वाया गुलगंज, बल्देवगढ़ खरगापुर, पलेरा, कनेरा, मऊरानीपुर, निवाड़ी.	63	139	202	1	2	1	2	139	126
173	झांसी-सरवई वाया निवाड़ी मऊरानीपुर-नौगांव-कैमहा-गढ़ीमलेहरा, महाराजपुर, लौड़ी.	72	135	207	1	2	1	2	135	144
174	ललितपुर-रानीपुर वाया महरौनी, टीकमगढ़, बल्देवगढ़ खरगापुर, जतारा, मऊरानीपुर.	59	95	154	1	1	1	1	95	59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
175	ललितपुर-मऊरानीपुर वाया गईबाघाट, बानपुर टीकमगढ़, बल्देवगढ़, खरगापुर, पलेरा, जुगरा.	60	78	138	2	2	1	1	156	120
176	खरगापुर, जतारा, कनेरा, मऊरानीपुर, टौडीफतेहपुर, टहरौली, बघेरा, चिरगांव, भांडेर.	93	180	273	2	2	2	2	360	186
177	हरपालपुर-गुना वाया मऊरानीपुर, झांसी, बडौरा, पिछोर, रन्नौद, अशोकनगर, साडौरा.	87	241	328	1	2	1	2	241	174
178	टहरौली-छतरपुर वाया टौड़ीफतेहपुर, मऊरानीपुर, खरगापुरा, पलेरा, नौगांव.	57	80	137	2	2	1	1	160	114
179	गरौठा-अशोकनगर वाया माकुआँ, मऊरानीपुर, झांसी, बबीना बहौरा, तालबेहट जखौरा, राजघाट चन्देरी, मुंगावली.	184	102	286	2	2	2	2	204	368
180	गरौठा-अशोकनगर वाया मारकुआं, मऊरानीपुर, झांसी, दिनारा, करैरा, शिवपुरी, गुना, साडौरा.	113	251	364	1	2	1	2	251	226
181	गरौठा-रन्नौद वाया गुरसरांय, बघेरा, टहरौली, टोड़ीफतेहपुर, मऊरानीपुर, झांसी, करैरा, पिछोर, मायापुर.	159	137	296	2	2	2	2	274	318
182	चरखारी-झांसी वाया सूपा, पवा, श्रीनगर, बेलाताल, अजनर, नौगांव, मऊरानीपुर.	120	46	166	2	1	2	1	92	120
183	झांसी से खुरई वाया ललितपुर, पौरघाट.	127	35	162	12	4	6	2	420	508
184	झांसी-दबोह वाया बालाजी, भाण्डेर.	15	60	75	0	4	0	2	0	60
185	महोबा-ग्वालियर वाया गढ़ीमलहेरा, छतरपुर, नौगांव, मऊरानीपुर, झांसी, दतिया, डबरा.	124	165	289	4	4	4	4	660	496
									46436.0	40598.6

परिशिष्ट के क्रमांक -3 पर उल्लिखित मार्ग झांसी से मोठ तक का भाग उत्तरप्रदेश की राष्ट्रीयकरण की योजना से आच्छादित है. इस मार्ग पर योजना में अनुमत परमिटों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जायेगा तथा शेष परमिटों का संचालन परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	झांसी-बरेली वाया ग्वालियर, इटावा.	259	198	0	457	4	0	4	0	792	0
17	आगरा-भिण्ड वाया वाह.	115	21	0	136	20	2	10	1	420	230
18	ग्वालियर-फिरोजाबाद वाया भिण्ड, इटावा.	96	98	0	194	2	0	2	0	196	0
19	ग्वालियर फर्रुखाबाद वाया भिण्ड, इटावा, करहल.	136	98	0	234	2	0	2	0	196	0
20	राठ-छतरपुर वाया हरपालपुर	45	51	0	96	8	4	4	2	408	180
21	झांसी-मेरठ वाया ग्वालियर धौलपुर.	243	152	29	424	2	0	2	0	304	0
22	छतरपुर-दिल्ली वाया ग्वालियर-मथुरा.	232	206	149	587	0	2	0	2	0	464
23	सीधी-मिर्जापुर वाया बहेरी हनुमना	71	80	0	151	2	0	2	0	160	0
24	झांसी-दिल्ली वाया ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़	230	152	29	411	2	0	2	0	304	0
25	महोबा-दिल्ली वाया छतरपुर झांसी ग्वालियर.	327	234	29	590	2	0	2	0	468	0
26	महोबा- आगरा, वाया छतरपुर, झांसी, ग्वालियर धौलपुर.	152	234	29	415	4	2	4	2	936	304
27	कानपुर-इन्दौर वाया झांसी, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, देवास.	240	457	0	697	6	4	6	4	2742	960
28	कानपुर-चांदला वाया महोबा लौड़ी	160	32	0	192	2	0	2	0	64	0
29	इलाहाबाद-सीधी वाया बरोधा, हनुमना.	164	80	0	244	4	4	4	4	320	656
30	छतरपुर-आगरा वाया झांसी ग्वालियर धौलपुर.	169	206	29	404	4	2	4	2	824	338
31	झांसी-जयपुर वाया ग्वालियर धौलपुर, आगरा, भरतपुर.	48	152	225	425	2	0	2	0	304	0
32	ग्वालियर-मैनपुरी वाया इटावा करहल.	43	98	0	141	2	0	1	0	196	0
33	इलाहाबाद-चांदला वाया बांदा, महोबा.	283	32	0	315	2	0	2	0	64	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	इलाहाबाद-सागर वाया बांदा	270	199	0	469	2	2	2	2	398	540
35	उरई-चंदेरी वाया ललितपुर	229	14	0	243	2	0	2	0	28	0
36	जबलपुर-इलाहाबाद वाया रीवा, चाकघाट.	48	306	0	354	0	6	0	6	0	288
37	शहडोल-इलाहाबाद वाया रीवा	48	241	0	289	2	4	2	4	482	192
38	सीधी-ग्वालियर वाया छतरपुर झांसी.	80	445	0	525	0	4	0	4	0	320
39	ग्वालियर-बाह वाया भिण्ड	41	99	0	140	0	2	0	2	0	82
40	बिलासपुर-इलाहाबाद	48	241	121	410	2	0	2	0	482	0
41	जुन्नारदेव-वाराणसी वाया मिर्जापुर, चुनार.	147	574	0	721	0	2	0	2	0	294
42	भोपाल-इलाहाबाद वाया सतना, रीवा.	48	635	0	683	0	2	0	2	0	96
43	जुन्नारदेव-इलाहाबाद वाया रीवा	48	574	0	622	0	2	0	2	0	96
44	शिवपुरी-झांसी	19	80	0	99	0	24	0	12	0	456
45	ग्वालियर-लखनऊ वाया भिण्ड इटावा.	256	114	0	370	4	2	4	2	456	512
46	भिण्ड-कानपुर वाया इटावा	130	21	0	157	0	2	0	2	0	260
47	ग्वालियर-झांसी वाया डबरा, दतिया.	18	86	0	104	0	24	0	12	0	432
48	इटावा-ग्वालियर वाया भिण्ड, गोहद.	24	98	0	122	0	10	0	5	0	240
49	ग्वालियर-रीवा वाया झांसी, मऊरानीपुर, छतरपुर.	80	333	0	413	0	8	0	8	0	640
50	करैरा-झांसी	19	32	0	51	0	12	0	6	0	228
51	झांसी-जयपुर वाया श्योपुरकला	19	195	227	441	0	4	0	2	0	76
52	टीकमगढ़-ग्वालियर वाया निवाड़ी झांसी.	32	162	0	194	0	2	0	2	0	64
53	ग्वालियर-जबलपुर वाया झांसी सागर.	138	347	0	485	0	4	0	4	0	552
54	सतना-महोबा वाया खजुराहो	72	182	0	254	0	2	0	2	0	144

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
55	रीवा-वाराणसी बाया हनुमना, मिर्जापुर, चुनार	147	96	0	243	0	4	0	2	0	508
56	चंदेरी-ललितपुर	22	14	0	36	0	12	0	3	0	364
57	सीधी-वाराणसी बाया चंहेरी, हनुमना, मिर्जापुर, चुनार	147	80	0	227	2	2	2	2	160	294
58	वाराणसी-जबलपुर बाया रीवा, मिर्जापुर, चुनार	145	322	0	467	6	6	6	6	1932	820
59	ग्वालियर-इलाहाबाद बाया उरई, कानपुर	377	133	0	510	2	2	2	2	250	754
60	छतरपुर-कानपुर बाया महोबा	162	45	0	207	2	2	2	2	90	321
61	ग्वालियर-अयोध्या	4[illegible]	108	0	531	0	2	0	2	0	846
62	ग्वालियर-बरेली बाया इटावा	240	108	0	531	0	2	0	2	0	402
63	लखनऊ-शिवपुरी बाया कानपुर, झांसी	244	80	0	324	4	0	4	0	320	0
64	ग्वालियर-चंडीगढ़	130	66	345	541	0	4	0	4	0	573
65	धुरैना-मथुरा बाया धौलपुर, आगरा	90	24	29	140	0	4	0	4	0	360
66	भिण्ड-दिल्ली बाया आगरा, मथुरा	243	21	84	348	0	4	0	4	0	972
67	टीकमगढ़-आगरा बाया ग्वालियर धौलपुर	120	224	29	373	2	0	2	0	448	0
68	राठ-सागर बाया हरपालपुर, छतरपुर	45	210	0	255	2	0	2	0	420	0
							योग ..			20568	22113